मंजुला सक्सैना
निदेशक (पत्रिका)
राजभाषा विभाग

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
भारत सरकार
एन.डी.सी.सी.II बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NDCC-II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI - 110001

प्रिय महोदय/ महोदया

राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक चेतना को जोड़ने की क्षमता के कारण हिंदी भाषा विश्व को भारतीय संस्कृति का साक्षात्कार करांती है । हिंदीअपनी सरलता, सहजता तथा समन्वय के विशेष गुणों के कारण देश की ही नहीं अपितु विश्व के कई अन्य देशों में संपर्क भाषा के रूप में उपयोग की जा रही है।

2. 26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिन्दी' व लिपि 'देवनागरी' होगी । अनुच्छेद 351 के अनुसार "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द- भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें । " इसी संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सतत् प्रयत्नशील है ।

3. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विगत 44 वर्षों से राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में 'राजभाषा भारती' पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है । राजभाषा भारती में राजभाषा, साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान पर स्तरीय व ज्ञानवर्धक लेख सरल हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं । विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रिका में इन विषयों पर श्रेष्ठ व स्तरीय लेखों को प्राथमिकता दी जाती है । वर्तमान में यह पत्रिका यू.जी.सी. केयर लिस्ट में शामिल है तथा विदेशी पाठकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच (Library of Congress) पर भी उपलब्ध है ।

4. आपसे अनुरोध है कि पत्रिका राजभाषा भारती में छापने के लिए अपने विश्वविद्यालय से उच्च गुणवत्ता के लेख/ शोध आलेख patrika-ol@nic.in पर भिजवाने की कृपा करें ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित !

मंजुला
(मंजुला सक्सैना)

सेवा में,

<u>विश्वविद्यालयों के कुलपति/ रजिस्ट्रार/ विभागाध्यक्ष (हिन्दी)</u>